संख्या-929/2017/2642/22-2-2017-17(391)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 15 दिसम्बर, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजपाल पुत्र श्री पूरण निवासी जनपद-शामली की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-36353/प्रोबे0-5-दयायाचिका/311 दिनांक 06.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजपाल पुत्र श्री पूरण, जो तितरवाडा, थाना-कैराना, जनपद-शामली का रहने वाला है। बन्दी द्वारा खेत में पानी से सिंचाई किये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 08.08.2000 को 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गडासा, पलकटी एवं लाठी से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या तथा 01 व्यक्ति को घायल कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-34/2001 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149, 324/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-1), मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 07.06.2011 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया । बन्दी द्वारा दिनांक 19.01.2017 तक 06 वर्ष 00 माह 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 07 वर्ष 07 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 02 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे हैं तथा 02 सहअभियुक्त मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा। जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी राजपाल (बन्दी संख्या-3562/11 जि0का0मु0न0) पुत्र श्री पूरण निवासी जनपद-शामली की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-929/2017/2642(1)/22-2-2017 तद्वदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शामली।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा/अधीक्षक, जिला कारागार, मुजफ्फरनगर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।